

18 hrs.

ARREST AND RELEASE OF MEMBER

Mr. Speaker: I have to inform the House that I have received the following wireless message, dated the 5th September, 1962, from the Magistrate, First Class, Purulia:—

“Shri Bhajahari Mahato, Member, Lok Sabha, accused in a case under section 302, Indian Penal Code, was taken into custody on the 30th July, 1962. He was released on bail on the 4th August, 1962. Due to sheer omission, timely intimation could not be given to the Speaker. I tender unqualified apology for his serious omission which was unintentional.”

PAKISTANI INFILTRATION In ASSAM

Mr. Speaker: Now, we will take up the half-an-hour discussion. Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, असम में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध प्रवेश की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अब से कुछ समय पूर्व भी मैं ने सदन का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित किया था लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मंत्रालय के पास पूरी जानकारी नहीं थी और मंत्रालय ने इस के उत्तर में यही कहा कि उस की जांच कराई जा रही है। पूरी जांच होने पर इस सदन को सूचित किया जायेगा।

अवैध प्रवेश की यह समस्या केवल असम प्रदेश की ही नहीं है अपितु उस के आस पास पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में भी इसी प्रकार का एक संकट उपस्थित हो गया है जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये किसी भी समय विस्फोट का कारण बन

सकता है। जब-जब इन प्रश्नों को उठाया जाता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ लोग उस को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित मानते हैं तो कुछ किसी देश विशेष के प्रति विद्वेष की भावना से प्रेरित मानते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना इस प्रश्न को पहले भी उठाने का सम्बन्ध था और आज भी इस चर्चा को उठाने का सम्बन्ध है केवल मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मैं इस चर्चा को उपस्थित कर रहा हूं।

पाकिस्तानी घुसपैठ के आंकड़ों के संबंध में जैसा मैं ने पहले भी कहा था कि सरकार कुछ समय तक तो जांच ही करती रही। यह पहला अवसर है कि जब कल राज्य सभा में गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को दृढ़ और स्पष्ट भाषा में कहा है कि ढाई और तीन लाख के मध्य में पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से असम में आ कर बस गये हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा के सम्बन्ध में भी कुछ दिन पूर्व वक्तव्य देते हुए उन्होंने ने यह बतलाया था कि लगभग ५० हजार पाकिस्तानी नागरिक त्रिपुरा के अंदर आ कर बस गये हैं। लेकिन मेरा अपना अनुमान इस प्रकार का है कि यह सरकारी आंकड़े पूरे सही नहीं हैं और मैं समझता हूं कि असम में जितनी मात्रा में पाकिस्तानी नागरिक आये हैं वह संख्या इस की लगभग दुगनी या ढाई गुनी से भी ज्यादा है। इस के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से यूं भी कहना चाहता हूं कि असम प्रदेश की सरकार और भारत सरकार देर तक इन तथ्यों को क्यों छिपाती रहीं? श्री फखरुद्दीन अहमद जोकि असम के वित्त मंत्री हैं, पिछले अपने सामान्य चुनावों में स्थान-स्थान पर यह कहते फिरते कि यह केवल एक नारा है जो असम राज्य को बदनाम करने के लिये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी नागरिक असम में इस तरीके से भारी मात्रा में प्रवेश कर गये हैं। लेकिन उन्होंने सामान्य चुनावों में ही नहीं अपितु जब असम राज्य का बज